राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग

बीस को दिल्ली के जंतर-मंतर पर करेंगे बड़ा प्रदर्शन : उमर

जम्मू, 12 जुलाई (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि दिल्ली में 20 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन से केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए उनकी पार्टी के अभियान के एक नये चरण की शुरुआत होगी।

अब्दुल्ला ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने इस उम्मीद में विधानसभा चुनाव के बाद दो साल तक इंतजार किया कि केंद्र सरकार राज्य का दर्जा बहाल कर देगी। उन्होंने कहा, हमने केंद्र सरकार को पर्याप्त समय दिया है। लगभग दो वर्षों तक हमने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए बातचीत जारी रखी। अब हम एक नई रणनीति अपनाएंगे। अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह पार्क में जनसभा को संबोधित किया। जम्मू शहर में कई वर्षों बाद यह उनकी पहली बड़ी जनसभा थी। यह रैली इसलिए भी महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसका आयोजन भाजपा के गढ़ में किया गया था।

> *अब्दुल्ला* ने कहा, तो वे हमसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या हमें अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप (अमेरिकी राष्ट्रपति) के समक्ष या व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए ताकि जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा मांगा जा सके?

मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे को उचित समय आने तक टाले जाने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि यह उचित समय आखिर क्या होगा और क्या इसका मतलब जम्मू-कश्मीर में भाजपा का सत्ता में आना है? उन्होंने पूछा, भाजपा नेता नैशनल कान्फ्रेंस के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के खिलाफ बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह का प्रदर्शन करके हमें राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा... अगर दिल्ली में नहीं, तो फिर कहां (प्रदर्शन करें)?

अब्दुल्ला ने कहा, अगर हमारे अपने देश के किसी हिस्से से जुड़े फैसले हमारी अपनी राष्ट्रीय राजधानी में नहीं लिए जा सकते, तो फिर वे फैसले कहां लिए जाएंगे? उन्होंने कहा कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शनों के माध्यम से, विधानसभा में और अब राष्ट्रीय राजधानी में उनके प्रदर्शन को लेकर भी उनके राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रयासों को लगातार कमजोर किया है। अब्दुल्ला ने कहा, तो वे हमसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या हमें अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप (अमेरिकी राष्ट्रपति) के समक्ष या व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए ताकि जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा मांगा जा सके? हम तो केवल अपने ही देश में किए गए एक वादे को अपने ही देश की राजधानी में पूरा किए जाने की मांग कर रहे हैं।

उपचार के बाद महिला के पैर गंवाने को लेकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मामला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 जुलाई।

पश्चिम बंगाल में कुछ महीने पहले शुरू की गई स्वास्थ्य देखभाल पहल सेवाश्रय शिविर में घुटने के दर्द के इलाज के बाद एक महिला के अपना पैर गंवाने को लेकर दायर शिकायत पर तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने दो जनवरी को इस शिविर की शुरुआत की थी। उस समय पश्चिम बंगाल में तृणमूल

कांग्रेस की सरकार थी। पूर्व में भी सेवाश्रय स्वास्थ्य शिविरों में कथित अनियमितताओं के संबंध में उनके खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज हुई है। तीसरी प्राथमिकी दक्षिण 24 परगना जिले के महेशतला निवासी मालती बिस्वास की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई। महिला ने कुछ दिन पहले पुलिस में शिकायत की थी कि उसके इलाके में आयोजित एक सेवाश्रय स्वास्थ्य शिविर में चिकित्सकीय लापरवाही के कारण उसे अपना एक पैर गंवाना पड़ा। शिकायत के अनुसार, मालती बिस्वास कुछ महीने पहले, घुटने के दर्द की शिकायत के साथ इस स्वास्थ्य शिविर में गई थीं। वहां चिकित्सकों ने उन्हें कुछ दवाइयों का सेवन करने की सलाह दी थी। इसके बाद, उन्होंने दवाइयों का सेवन शुरू किया। हालांकि, उनकी हालत बिगड़ गई, जिससे उन्हें एक और सेवाश्रय शिविर में जाना पड़ा।

परिजनों ने स्वतंत्र सिम्युलेटर परीक्षण, अंतिम रिपोर्ट जारी करने की समयसीमा मांगी

अहमदाबाद, 12 जुलाई (भाषा)।

एअर इंडिया के एआइ-171 विमान की दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों ने नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू को पत्र लिखकर जांच के बारे में नियमित जानकारी, स्वतंत्र सिम्युलेटर सत्यापन परीक्षण और जांच दल में बोइंग 787 के एक अनुभवी पायलट को शामिल करने की मांग की है।

उन्होंने मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया कि वह अंतिम जांच रिपोर्ट जारी करने के

अहमदाबाद विमान दुर्घटना

लिए एक निश्चित समय-सीमा की घोषणा करे और यह सुनिश्चित करे कि इसे जल्द से जल्द सार्वजनिक किया जाए। ऐसे लगभग 30 परिवारों ने अपने कानूनी अधिकारों की सुरक्षा की भी मांग की। उनका आरोप था कि एअरलाइन पीड़ितों के परिवारों से एक रिलीज आक्यूमेंट (समझौता पत्र) पर हस्ताक्षर करने को कह रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस दस्तावेज के तहत उन्हें न सिर्फ एअर इंडिया के खिलाफ, बल्कि विमान और उसकी प्रणाली से जुड़ी विदेशी कंपनियों के खिलाफ भी अपने कानूनी अधिकार छोड़ने पड़ते। सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से 12 जून, 2025 को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

अमरनाथ यात्रा के लिए 9,153 तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना

जम्मू, 12 जुलाई (भाषा)।

जम्मू कश्मीर में जारी वार्षिक अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए रविवार सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से 9,153 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था रवाना हुआ, जिसमें 2,345 महिलाएं भी शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि 359 वाहनों में सवार तीर्थयात्री कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गांदरबल जिले के बालटाल और अनंतनाग जिले के नुनवान (पहलगाम) स्थित दो आधार शिविरों के लिए रवाना हुए। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के इस 11वें जत्थे में 18 बच्चे भी शामिल हैं। ये वाहन भगवती नगर आधार शिविर से दो अलग-अलग काफिलों में देर रात दो बजकर 40 मिनट से तीन बजकर 35 मिनट के बीच रवाना हुए। अधिकारियों ने बताया कि तीन जुलाई से शुरू हुई 57 दिवसीय वार्षिक तीर्थयात्रा जारी है। इस दौरान अब तक 2.30 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं।

इसरो ने गगनयान 'क्रू माड्यूल' सिस्टम के परीक्षण पूरे किए

नई दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने रविवार को कहा कि उसने गगनयान 'क्रू माड्यूल सिस्टम' के तीन बड़े परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा था, जिसे सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में उस प्रणाली को अलग करने की प्रक्रिया की जांच की गई।

शुद्धि-पत्र (कोरिजेंडम)

सनस्टार रियल्टी डेवलपमेंट लिमिटेड

के संबंध में फॉर्म ए सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में

(सीआईएन: L70102MH2008PLC184142)

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, २०१६ के विनियम ६ के अंतर्गत सनस्टार रियल्टी डेवलपमेंट लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में जनसत्ता में दिनांक १२.०७.२०२६ को प्रकाशित फॉर्म ए सार्वजनिक सूचना का संदर्भ लें।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त सूचना में क्रम संख्या ९ और १० के सामने की प्रविष्टियाँ त्रुटिवश गलत छपी थीं। उक्त प्रविष्टियाँ निम्नानुसार पढ़ी जाएँ:

क्र. सं.	विवरण	सही प्रविष्टि
९.	अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड के पास पंजीकृत है	ए-७५६, सेक्टर-२, रोहिणी, नई दिल्ली, ११००८५. ई-मेल: cavinodchaurasia@gmail.com
१०.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	बी-०२२, प्रगति विहार छात्रावास, लोधी रोड, नई दिल्ली- ११०००३. ई-मेल: cirpofsunstar@gmail.com

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्रम संख्या १२ और १३ के सामने की प्रविष्टियाँ लागू नहीं पढ़ी जाएँ।

उक्त सार्वजनिक सूचना की अन्य सभी सामग्री अपरिवर्तित रहेगी। दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि २४.०७.२०२६ यथावत रहेगी। लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावे सबूत सहित उपर्युक्त क्रम संख्या १० में दिए गए पते और ई-मेल पर अंतरिम समाधान पेशेवर को प्रस्तुत करें। यदि किसी लेनदार ने उक्त सूचना में गलत छपे ई-मेल पते पर दावा भेजा हो, तो उससे अनुरोध है कि वह अपना दावा cirpofsunstar@gmail.com पर पुनः प्रस्तुत करे।

नाम: श्री विनोद कुमार चौरसिया
अंतरिम समाधान पेशेवर, सनस्टार रियल्टी डेवलपमेंट लिमिटेड
पंजीकरण संख्या: IBBI/IP--001/IP-P00100/2017-18/10200
दिनांक और स्थान: १३.०७.२०२६, दिल्ली.

SBFC Finance Limited

पंजीकृत कार्यालय:- यूनिट नंबर 103, प्रथम तल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059

कब्जा सूचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

जबकि अधोहस्ताक्षरी सुरक्षाकरण, वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप मे और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं पर डिमांड नोटिस जारी किया है जिसमे यह कहा गया है कि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकानी होगी।
उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता और आम जनता को कोई सूचना नहीं दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित नीचे दी गई तारीखों कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का नाम और पता और मांग सूचना की तारीख और ऋण खाता संख्या	संपत्ति(यों) का विवरण और कब्जे की तारीख	कब्जा सूचना में मांगी गई राशि (रु.मे)
1. पूनम देवी (आवेदक) 2. सुभाष कुमार (सह-आवेदक 1) पताः प्लॉट संख्या 802, मौजा डेटा खुर्द, परगना चंदूस, तहसील गभाना, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202155. मांग नोटिस की तिथिः 06 अप्रैल 2026 ऋण खाता संख्या SBFCLAP0000195331 (PR01783228) और 228629 (PR01819910).	संपत्ति का वह संपूर्ण भाग और टुकड़ा, जो गाटा नंबर 802 पर स्थित प्लॉट और मौजा डेटाखुर्द, परगना चंदूस, तहसील गभाना, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202155 में स्थित घर का हिस्सा है। इलाके की सीमाएँ:- पूर्वः केहर सिंह का घर। पश्चिमः 18 फीट चौड़ी सड़क। उत्तरः ग्राहक का घेर। दक्षिणः सुरेश का घर। **सांकेतिक कब्जे की तारीखः 10 जुलाई, 2026**	13 मार्च, 2026 तक रुपये 21,27,443 (इक्कीस लाख सत्ताइस हजार चार सौ तैंतालीस रुपये मात्र), साथ ही 14 मार्च, 2026 से लागू न हुआ ब्याज,

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
दिनांक – 13.07.2026 स्थान – अलीगढ़,/ उत्तर प्रदेश, **हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी) एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड।**

फॉर्म नं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
निदेशालय I के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
उषामिल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः 28ए/1, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट क्ष साहिबाबाद, आई.ई. साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, 201010 में स्थित है, के मामले में .....याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "उत्तर प्रदेश राज्य" से "रा.रा.क्षेत्र दिल्ली" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 23 जून, 2026 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर **निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर** प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे दिए गए पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-1 को उनके पतेः बी-2 विंग, 2 रा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे:
उषामिल एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 28ए/1, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट IV साहिबाबाद, आई.ई. साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, 201010
CIN: U74999UP1973PTC194133
आवेदक की ओर से और उसके लिए
हस्ता/-
प्रदीप कुमार सिंह
दिनांकः 11.07.2026 अतिरिक्त निदेशक
स्थानः गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश DIN: 06689743

फॉर्म नं. आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
निदेशालय I के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
फेयरबैक्स मोर्स इंडिया लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः 28ए, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट IV साहिबाबाद, आई.ई. साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, 201010 में स्थित है, के मामले में .....याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "उत्तर प्रदेश राज्य" से "रा.रा.क्षेत्र दिल्ली" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 23 जून, 2026 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर **निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर** प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे दिए गए पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-1 को उनके पतेः बी-2 विंग, 2 रा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजे:
फेयरबैक्स मोर्स इंडिया लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 28ए, इंडस्ट्रियल एरिया, साइट IV साहिबाबाद, आई.ई. साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, 201010
CIN: U29120UP1973PLC194003
आवेदक की ओर से और उसके लिए
हस्ता/-
प्रदीप कुमार सिंह
दिनांकः 11.07.2026 अतिरिक्त निदेशक
स्थानः गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश DIN: 06689743

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड

JUBILANT FOODWORKS
सीआईएनः L74899UP1995PLC043677
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 1ए, सैक्टर 16ए, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश
कॉरपोरेट कार्यालयः 15वां तल, टॉवर ई, एकाईमार्क बन, प्लॉट नं. एच-10/ए, सैक्टर 98, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश
फोनः +91-120-6927500; +91-120-6935400
वैबसाइटः www.jubilantfoodworks.com, ईमेलः investor@jublfood.com

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

सेबी के परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि निवेशकों को उनकी प्रतिभूतियों तक उचित पहुंच प्राप्त करने में और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए, भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण विलेखों को पुनः जमा करने के लिए एक और विशेष विंडो खोली गई है। **यह विंडो 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए** उन शेयरधारकों के लिए है जिन्होंने 1 अप्रैल, 2019 से पहले प्रतिभूतियां बेची/खरीदी थीं और जिनके हस्तांतरण विलेख 1 अप्रैल, 2019 से पहले जमा किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्य किसी कारण से अस्वीकृत/वापिस कर दिए गए/जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था। शेयरधारकों को उपरोक्त परिपत्र में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज कंपनी के आरटीए, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), जिसका कार्यालय नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में स्थित है, को जमा करने होंगे। हैल्पलाइन नंबर +91 11 49411000 पर संपर्क करें या https://web.in.mpms.mufg.com/helpdesk/service_Request.html पर सेवा अनुरोध दर्ज करें या investor@jublfood.com/investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com पर ईमेल भेजें। इस प्रकार हस्तांतरित प्रतिभूतियां अनिवार्य रूप से केवल डीमैटरियलाइज्ड मोड में ही क्रेडिट की जाएंगी और हस्तांतरण के पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन अवधि के अंतर्गत रहेंगी। उक्त लॉक-इन अवधि के दौरान ऐसी प्रतिभूतियों को हस्तांतरित/गिरवी नहीं रखा जा सकता है।
इस विंडो की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टता के लिए, नीचे दिए गए मैट्रिक्स का संदर्भ लिया जा सकता है:

स्थानांतरण विलेख की निष्पादन तिथि	01 अप्रैल, 2019 से पहले स्थानांतरण के लिए आवेदन किया?	मूल सुरक्षा प्रमाणपत्र उपलब्ध है?	वर्तमान विंडो में प्रवेश के लिए पात्र हैं?
01 अप्रैल 2019 से पहले	नहीं (यह नया आवेदन है)	हाँ	✓
01 अप्रैल 2019 से पहले	हाँ (इसे पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था/वापस कर दिया गया था)	हाँ	✓
01 अप्रैल 2019 से पहले	हाँ	नहीं	✗
01 अप्रैल 2019 से पहले	नहीं	नहीं	✗

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित मामलों पर प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा:
• हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरिती के बीच विवादों से जुड़े मामले
• शेयर जो निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ("आईईपीएफ") में स्थानांतरित कर दिए गए हैं
नोटः सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए/डिपॉज़िटरी प्रतिभागियों के साथ अपना केवाईसी विवरण को अपडेट करें।

जुबिलैंट फूडवर्क्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
(मोना अग्रवाल)
कम्पनी सचिव
दिनांकः 10.07.2026
स्थानः नोएडा

सार्वजनिक सूचना

केंद्रीय सरकार के समक्ष, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, हरियाणा
एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से अन्य राज्य में परिवर्तन के लिए विज्ञापन
सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में
और
निवहर्ष हॉस्पिटैलिटी एलएलपी
(एलएलपीआईएन : एबीबी-4130)
जिसका पंजीकृत पता : **एन 347 ग्राउंड फ्लोर, मेफेयर गार्डन्स सैक्टर 51, गुड़गांव, हरियाणा, भारत, 122018**
.....**आवेदक/याचिकाकर्ता एलएलपी**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **"निवहर्ष हॉस्पिटैलिटी एलएलपी"** ने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हरियाणा को एक आवेदन / याचिका का प्रस्ताव किया है, जिसमें पंजीकृत कार्यालय को **"हरियाणा राज्य"** से **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** में बदलने की अनुमति मांगी गई है। एलएलपी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर **रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज हरियाणा, कॉर्पोरेट भवन, प्लॉट नंबर 4-बी, सैक्टर 27-बी, चंडीगढ़ पिन-160019** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति एलएलपी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें:
एन 347 ग्राउंड फ्लोर, मेफेयर गार्डन्स सैक्टर 51, गुड़गांव, हरियाणा, भारत, 122018

आवेदक के लिए और उसकी ओर से
निवहर्ष हॉस्पिटैलिटी एलएलपी
हस्ता/-
साहिबा चड्ढा
(नामित साझेदार)
डीपीआईएन : 11806194
अमित चड्ढा
(नामित साझेदार)
डीपीआईएन : 11418681
दिनांकः 13 जुलाई 2026
स्थानः गुड़गांव

सार्वजनिक सूचना (**Public Notice**)
प्रपत्र सं. INC-26
[कंपनियाँ (निगमन) नियम, **2014** के नियम **30** के अनुसरण में]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना
केंद्र सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-I

विषय : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) के मामले के अंतर्गत। तथा

ANANTECH VENTURES LIMITED, जिसका पंजीकृत कार्यालय **129**, लोअर ग्राउंड फ्लोर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नई दिल्ली-**110001**, कनॉट प्लेस, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत - **110001** पर स्थित है।

....याचिकाकर्ता

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करती है, ताकि दिनांक **19/06/2026** को आयोजित असाधारण साधारण सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि प्राप्त की जा सके, जिससे कंपनी का पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र "दिल्ली" से "महाराष्ट्र" राज्य में स्थानांतरित किया जा सके।

यदि किसी व्यक्ति के हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह **(14)** दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति एवं आपत्ति के आधारों का उल्लेख करते हुए शपथपत्र (Affidavit) सहित अपनी आपत्ति स्वयं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-**I**, B-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को प्रस्तुत या प्रेषित कर सकता/सकती है। उक्त आपत्ति की एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके नीचे उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजी जानी चाहिए:

पंजीकृत कार्यालयः 129, लोअर ग्राउंड फ्लोर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नई दिल्ली-110001, कनॉट प्लेस, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत - 110001
ईमेलः anantechventures20@gmail.com

ANANTECH VENTURES LIMITED की ओर से
सुजीत कुमार
प्रबंध निदेशक
दिनांक : **13/07/2026**
स्थान : दिल्ली DIN: 06952311

EXIT OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF THE
PETERHOUSE INVESTMENTS INDIA LIMITED
CIN: U31300WB1979PLC032347;
Registered Office: Godrej Waterside, Tower - 2, Room No: 1206, 12th Floor, Block-DP, Sector-V, Salt Lake City, Kolkata - 700 091;
Tel. No.: +91-33-6810 3700;
Email ID: debjit.bhattacharya@ushamartintech.com; Website: www.piil.co.in

This Exit Offer Public Announcement dated July 11, 2026 (**"Exit Offer PA5"**) is being issued by Intelligent Money Managers Private Limited (**"Manager to the Exit Offer"**) for and on behalf of Uma Devi Jhawar, member of the Promoter Group (**"the Acquirer"**) of Peterhouse Investments India Limited (**"PIIL"/"the Company"**) to the remaining Public Shareholders (**"Residual Public Shareholders"**) of the Company pursuant to Regulation 27(1)(a) of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (**"SEBI Delisting Regulations"**) in accordance with terms and conditions set out in the Exit Letter of Offer dated August 08, 2025 (**"Exit LOF"**).
This Exit Offer PA5 is in continuation to and should be read in conjunction with the Exit LOF. Capitalized terms used but not defined in this Exit Offer PA5 shall have the same meaning assigned to them in the Exit LOF.

1. DATE OF DELISTING
1.1 The Calcutta Stock Exchange Limited (**"CSE"**) vide its letter reference no. CSE/LD/DL/16848/2025 dated July 10, 2025 has informed that the equity shares of the Company have been delisted from CSE effective from July 11, 2025 (**"Delisting Date"**).

2. PAYMENT OF CONSIDERATION TO RESIDUAL PUBLIC SHAREHOLDERS
Subject to fulfilment of the terms and conditions mentioned in the Exit LOF, the Acquirer intends to make payment on a monthly basis, within 10 working days at the end of the calendar month in which equity shares have been validly tendered (**"Monthly Payment Cycle"**). Payments will be made only to those Residual Public Shareholders who have validly tendered their equity shares by following the instructions as set out in the Exit LOF and Exit Offer Application Form. The Acquirer reserves the right to make payment earlier. No equity shares have been validly tendered during the period from April 01, 2026 and ending on July 10, 2026 i.e. Exit Window Closing Date.

iwm	abs
Intelligent Money Managers Private Limited **CIN:** U65923WB2010PTC156220 2nd Floor, YMCA Building, 25, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata - 700 087; **Tel. No.:** +91-33-4065 6289